

**अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।**

**मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना का नवीन आवेदन प्रारूप**  
(केवल वर्ष.....की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली अल्पसंख्यक बालिकाओं हेतु)

**(आवेदन पत्र स्पष्ट एवं पठनीय भरा जाये)**

**महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश**

नवीनतम फोटो चरपा करें। फोटो संबंधित स्कूल/कॉलेज/मदरसा प्रबन्धक के द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

- (क) आवेदन पत्र को भरने से पूर्व आवेदन के प्रारूप को भली भांति पढ़ लिया जाय ताकि ओवदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को भरने में किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
- (ख) आवेदन पत्र को सावधानी पूर्वक भरा जाय।
- (ग) आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कटिंग, ओवरराइटिंग, फल्यूड इंक आदि वर्जित है।
- (घ) अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् का स्तर जिसके लिए आवेदन भरा जा रहा है।

हाईस्कूल/मुंशी/मौलवी.....  
इण्टरमीडिएट/आलिम.....

- 1. आवेदन का नाम (हिन्दी में).....(अंग्रेजी में)
- (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार)
- 2. माता/पिता/अभिभावक का नाम (हिन्दी में).....(अंग्रेजी में)
- 3. (क) छात्रा का स्थाई पता.....

(ख) पत्र व्यवहार का पूरा पता.....

(ग) दूरभाष/मोबाईल नम्बर.....(ई-मेल आईडी).....

- 4. जन्म तिथि (अंकों में)  (शब्दों में).....  
वर्तमान वर्ष की 01 जुलाई, को आयु (आयु 20 वर्ष से अधिक न हों)
- 5. जाति .....उपजाति.....
- 6. माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ₹.....(₹ शब्दों में).....  
(ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹81,000.00 एवं शहरी क्षेत्र के लिए ₹103000.00 परिवार की आय सीमा निर्धारित की गयी है)।
- 7. ग्रामीण क्षेत्र  शहरी क्षेत्र
- 8 यदि आवेदन बी.पी.एल. श्रेणी का है तो बी.पी.एल. संख्या.....  
(B.D.O) द्वारा जारी बी.पी.एल. प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 9. आवेदन का आधार कार्ड नं०.....
- 10. आवेदन का (केवल C.B.S खाता मान्य) बैंक खाते का विवरण:-  
(क) बैंक का नाम.....शाखा का नाम.....  
(ग) बैंक खाता सं०.....IFSC कोड.....
- 11. शैक्षिक योग्यता:-

क्र	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	विद्यालय/कॉलेज/मदरसे का नाम, जहाँ से हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट/मुंशी/मौलवी की परीक्षा उत्तीर्ण की गयी।	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
0	1	2	3	4	5	6	7
1	हाईस्कूल/मुंशी/मौलवी						
2	इण्टरमीडिएट/आलिम						

12. वर्तमान अध्ययनरत् विद्यालय/कॉलेज/मदरसे का नाम.....
13. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित).....
14. सेवायोजन की स्थिति (सेवायोजित/असेवायोजित).....

### घोषणा-पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनायें एवं विवरण मेरे संज्ञान में सत्य हैं।
2. मैं अपना आधार संख्या..... तथा नाम को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सुरक्षित तथा UIDAI साथ सत्यता की पुष्टि करने हेतु सहमति प्रदान करती हूँ।

(छात्रा के हस्ताक्षर)

नाम:-

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर दी गई जानकारी सत्य है, यदि इसमें कोई त्रुटि पायी जाती तो मेरे पाल्य का आवेदन -पत्र निरस्त कर दिया जाये तथा इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मैंने उक्त योजना के अन्तर्गत इस आवेदन को सम्मिलित करते हुए 02 से अधिक पुत्रियों हेतु अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

(अभिभावक के हस्ताक्षर )

अभिभावक के नाम:-

- (1) हाईस्कूल/मुंशी/मौलवी उत्तीर्ण की अंक तालिका की स्कूल/कॉलेज/मदरसा से प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- (2) यदि इण्टरमीडिएट/आलिम परीक्षा के आधार पर आवेदन किया गया है तो इण्टरमीडिएट अंकतालिका की स्कूल/कॉलेज/मदरसा से प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- (3) बी0पी0एल0/आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) संलग्न करें।
- (4) बैंक खाता (C.B.S शाखा) पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति (जिसमें बैंक खाता, बैंक शाखा का नाम, तारीख आई0एफ0एस0सी0 कोड अंकित हो) संलग्न करें।
- (5) उत्तराखण्ड स्थाई निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- (6) अविवाहित होने का स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- (6) आधार कार्ड की प्रति संलग्न करें।
- (7) अल्पसंख्यक होने का स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(संलग्नकों का क्रम उपरोक्तानुसार ही होगा)

नोट:- बी0पी0एल0परिवारों के लिए बी.पी.एल प्रमाण-पत्र खण्ड विकास अधिकारी तथा आय के लिए तहसीलदार आय प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी है।